भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1152

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

यूपीएस योजना चुनने हेतु समय-सीमा

1152. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों को यूपीएस योजना का चयन करने के लिए क्या समय-सीमा दी गई है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार, कितने कर्मचारियों ने यूपीएस का चयन किया है; और

(ड.) क्या सरकार की उक्त योजनाओं में से एक का चयन करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): कर्मचारियों को सुनिश्चित पेआउट प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की गई है। कर्मचारियों और संघों के अभ्यावेदन के आधार पर यूपीएस चयन करने की अंतिम तिथि को तीन महीने की अवधि के लिए 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 20.7.2025 की स्थिति के अनुसार, 31555 कर्मचारियों ने यूपीएस का चयन किया है।

*****